कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

1496-529.

क्रमांक / बैठक / 2011 / DC-E/JDA/3/1818/III / दिनांक 26 अगस्त 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मे उनके कक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को सांय 4.30 बजे आहूत की गयी है। बैठक मे उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

प्रस्ताव संख्या 2 : मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 लागू करने के संबंध में विचार विमर्श।

नगरीय विकास विभाग द्वारा संशोधित भवन विनियम 2010 भिजवाये गये है। जिन्हे दिनांक 31 जुलाई, 2011 से पूर्व लागू करना था। अतः संशोधित भवन विनियम 2011 विचारार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

समिति ने विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव की पुष्टि की तथा संशोधित भवन विनियम दिनांक 1 अगस्त, 2011 से लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक मे निदेशक-आयोजना को निर्देश दिये गये कि वे नये भवन विनियमों की प्रति सचिव, निदेशकगण, उपायुक्तगण, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी एवं कम्प्यूटर शाखा को उपलब्ध कराया जावे ताकि नियमों की प्रति प्राधिकरण की वेब-साईट पर भी प्रदर्शित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 : विज्ञापन नीति के संबंध में विचार विमर्श।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 विज्ञापन नीति विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित की गयी थी। उक्त नीति में लिपिकीय त्रुटि से बिन्दु संख्या 4 "राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में 70,000 से कम प्रसार संख्या वाला समाचार-पत्र सम्मिलित नहीं किया जावेगा। राज्य स्तरीय समाचार पत्र का राज्य के कम से कम 5 शहरों से प्रकाशन होना भी आवश्यक है।" अंकित किया गया है जबकि विचार विमर्श में राज्य स्तरीय समाचार-पत्र के लिए कम से कम 4 शहरों में प्रकाशन होना निर्धारित किया गया था। अतः तदनुसार संशोधन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 : कार्डियोथोरेसिक यूनिट मथुरादास माथुर अस्पताल में आपूर्ति किये गये फर्नीचर के भुगतान के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरादास माथुर अस्पताल में निर्मित कार्डियोथोरेसिक यूनिट के लोकार्पण के संबंध में दिनांक 28 जनवरी, 2011 को सम्पन्न हुई बैठक में प्राचार्य, सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर के निर्देशानुसार नवनिर्मित कार्डियोथोरेसिक यूनिट में 12 एक्जीक्यूटिव रिवोलविंग चेयर (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के लिए) एवं 30 एक्जीक्यूटिव विजिटर्स चेयर्स (सेमीनार हॉल हेतु) की आवश्यक आपूर्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी थी। फर्नीचर की आपूर्ति हेतु स्टोर द्वारा पूर्व में बालाजी इण्डस्ट्रीज, जोधपुर को कार्यादेश दिया गया व उसके द्वारा फर्नीचर की आपूर्ति भी की गई थी। फर्नीचर की आपूर्ति अन्य समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व करनी थी इस कारण मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, जोधपुर को इस कार्यालय के आदेश संख्या 1867 दिनांक 29 जनवरी, 2011 के द्वारा आदेश दिया गया। उक्त फर्नीचर की कुल लागत निम्नानुसार है :-

1-	12 एक्जीक्यूटिव रिवोलविंग चेयर प्रति चेयर 9918/-	119016/-
2-	30 एक्जीक्यूटिव विजिटर्स चेयर प्रति चेयर 5442/-	163260/-
	कुल लागत	282276/-

फर्नीचर की आपूर्ति दिनांक 29 जनवरी, 2011 को प्राप्त कर प्राधिकरण के स्टोर में इन्द्राज कर दिनांक 30 जनवरी, 2011 को लोकार्पण से पूर्व कार्डियोथोरेसिक यूनिट में कर दी गई थी।

अतः रूपये 282276/- राशि का भुगतान मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, गुलाब सागर, जोधपुर को करने की स्वीकृति समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि हालांकि इस प्रकार पुराने टेण्डर के आधार पर आदेश देना एक Serious procedural अनियमितता है, परन्तु जैसा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उस समय की आपात स्थिति को देखते हुए तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव द्वारा यह आदेश दिया गया था इस कारण उक्त संवेदक मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, जोधपुर की अनुमोदित दरें एवं आईटम के अनुसार भुगतान किया जावे। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में उक्तानुसार कार्य नहीं किया जावे। उक्त फर्नीचर का भुगतान उक्त संवेदक को उसके द्वारा टेण्डर में उल्लेखित मदों एवं अनुमोदित दरों के आधार पर किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 : विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

(1) राजीव गांधी योजना के विभिन्न सेक्टरों में शेष रहे डब्ल्यू.बी.एम. सड़क एवं पुलियों का निर्माण कार्य।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना में अब तक कुल 4648 में से लगभग 3073 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया जा चुका है तथा शेष आवासीय भूखण्ड एवं व्यावसायिक भूखण्डों का निष्पादन किया जाना शेष है, वर्तमान में इस योजना में रूपये 1450.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कार्य का एक कार्यादेश रूपये 984.00 लाख का दिया गया है, जोकि वर्तमान में प्रगतिरत है। कार्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए

प्रगतिरत कार्य में स्वीकृत कार्य के तहत सड़क का Formation की ऊंचाई को आवश्यक गेज के हिसाब से बढ़ाई गई है। इसके साथ उक्त अनुबन्ध को प्रशासनिक स्वीकृति तक अधिक कर कार्य का स्कोप बढ़ाया गया है। फिर भी इसके अन्तर्गत सेक्टर एफ, जी, एच एवं आई में सड़कों का कार्य पूर्ण हो जायेगा एवं सेक्टर ए, बी सी, डी, ई एवं जे में आंशिक भाग में सड़कों का निर्माण कार्य होगा। इस तरह प्रगतिरत कार्य में योजना का काफी हिस्सा शेष रह जायेगा। योजना की शेष रही सड़कों एवं पुलियों के निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि का तखमीना बनाया जा कर वास्ते प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

क्र.सं.	सेक्टर का	अनुमानित लागत लाखों में
1	सेक्टर ए	377.50
2	सेक्टर बी	42.50
3	सेक्टर सी	92.00
4	सेक्टर डी	148.00
5	सेक्टर ई	180.00
6	सेक्टर जे	113.00
योग		953.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक अभियन्त्रिकी उक्त योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण से शेष रहे सेक्टर की सड़कों का स्वयं मौका निरीक्षण करें एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जावे।

(2) राजीव गांधी नगर योजना में वर्षा जल की निकासी :-

राजीव गांधी नगर योजना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है तथा योजना के विभिन्न सेक्टरों में पहाड़ी से वर्षा जल एकत्र हो कर आता है। इस वर्षा जल की समुचित निकासी हेतु विभिन्न सेक्टर में बरसाती नाले निर्माण कर पुलियों के माध्यम से वर्षा जल की निकासी प्राकृतिक भराव क्षेत्र तक करने हेतु बरसाती नाले निर्माण का तखमीना बनाया जा कर वास्ते प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ :-

S.No.	Particulars	Length Meter	Amount Lacs.
1	Sector F Park to C1 Culvert	750	190.00
2	E1-E2 Culvert to Kurureshi Nagaar Shamshan	850	215.00
3	Sector B Culvert to Jogiyon ki Basti	600	152.00
4	Sector J to G	1100	213.00
5	Sector A to Garden	1150	222.00
6	Sector A Park to 48 M Road	550	106.00
7	Sector E	1200	232.00
	Total	6200	1330.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त समस्त प्रस्ताव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे किन्तु प्रथम चरण में प्राथमिकता से प्रोटेक्शन वॉल बनाये जाने का कार्य ही करवाया जावे।

(3) राजीव गांधी नगर योजना में शेष रहे भूखण्डों एवं सड़कों पर मुटाम लगाने का कार्य –

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में एक कार्यादेश के तहत अब तक कुल 2264 मुटाम लगाये गये हैं। योजना को गति देने हेतु दो दो भूखण्डों के बीच में पत्थरों की चुनाई के बनाये गये हैं। अतः पूर्व में लगाये गये भूखण्डों के बीच में एवं शेष रहे भूखण्डों एवं सड़कों का डिमार्केशन आवश्यक है। जोकि पत्थरों की चुनाई के मुटाम प्रस्तावित है। जिसका विस्तृत तखमीना रूपये 32.00 लाख मात्र का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि मुटाम लगाये जाने के लिए जोनवार वार्षिक अनुबंध के लिए निविदा आमंत्रित की जावे। इसके लिए निदेशक–अभियांत्रिक मुटाम के स्पेसिफिकेशन तैयार कर प्रत्येक जोन के लिए 20 – 20 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर निविदा कार्यवाही सुनिश्चित करें व प्रत्येक जोन में फेंसिंग के लिए 10 – 10 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) अतिरिक्त व अधिक कार्यों के संबंध में –

1 नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन –

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिक ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों, शिष्टमण्डल, गणमान्य नागरिक एवं अन्य स्तर पर प्राप्त विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत किया। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्य कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया.–

क्र सं	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
	जोन – पूर्व		
1	महादेव कॉलोनी (झालामण्ड) में डामरीकरण का कार्य	28.82	विधायक महोदय(लूणी) श्री मलखानसिंह विश्नोई की अनुशंषा पर
2	सरदार समद मार्ग से ममता नगर तक सड़क निर्माण कार्य	16.00	विधायक महोदय(लूणी) श्री मलखानसिंह विश्नोई की अनुशंषा पर
3	झालामण्ड चौराहे से झालामण्ड गांव मार्ग पर पाली बाई पास रोड तक पटरी एवं शेष डामरीकरण का कार्य।	29.52	जोन पूर्व में विभिन्न स्थलों पर आवश्यक विकास कार्यों हेतु ।
	जोन – पश्चिम		
4	डॉ. फिरोज खां कॉलोनी सूथला में विभिन्न गलियों में सीमेन्ट सड़क कार्य	50.00	जिलाध्यक्ष कांग्रेस महोदय श्री सैयद अंसारी की

			अनुशंषा पर
5	रूपावतों का वास एवं खासनी में सीमेन्ट सडक व सीवर लाईन का कार्य ।	35.00	विधायक महोदया श्री सूर्यकान्ता व्यास की अनुशंषा पर
6	जोन: दक्षिण मे ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 54,55,56,58,86,97,99,100,110,111,112,113,119,122, 123,124 व 125 मे सडक निर्माण कार्य	80.00	90 बी की कॉलोनिया है एवं 1999 के पूर्व की होने के कारण कॉलोनियों कि आन्तरिक एवं बाह्य सडकों का हस्तारण प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है ।
	जोन – दक्षिण/परियोजना-द्वितीय		
7	उम्मेद चौक, गोल नाडी में सफेद आरातर का गेट एवं फुटपाथ व इन्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य ।	30.00	-
8	सिंधिया भैरूजी चौराहे से 12 वी रोड चौराहा (गौरव पथ) की मरम्मत का कार्य ।	25.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण की सडक
	जोन – उत्तर		
9	सुन्दर सिंह भण्डारी में कन्ट्रोल सीसी एवं डब्लू.बी एम बी.टी. सडक का कार्य	200.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण स्कीम क्षेत्र है ।
10	लाल सागर मुख्य सडक नृसिंह विहार से गोकुल जी प्याऊ तक नाला व फुटपाथ निर्माण का कार्य	80.00	मुख्य सडक है ।

इस संबंध मे यह भी निर्णय लिया गया कि–

1– उपरोक्त कार्यों में क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य के संबंध में बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिक को पूर्व निविदा के परिपेक्ष्य में परीक्षण करने के उपरान्त प्रकरण आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया तथा इस प्रकरण में आयुक्त महोदया को गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

2– क्रम संख्या 4 व 5 में अंकित कार्य के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मौके पर डामर सडक का निर्माण यदि हो सकता है तो डामर सडक का ही निर्माण करवाया जावे। यदि डामर सडक का निर्माण करवाया जाता है तो डामर सडक में होने वाले व्यय के अनुसार ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया। इस संबंध मे निदेशक–अभियांत्रिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3- क्रम संख्या 9 में अंकित कार्य में सीमेंट कंक्रीट सडक के स्थान पर डामर सडक निर्माण करने के कार्य के अनुसार ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

4– क्रम संख्या 10 में अंकित कार्य में नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया गया तथा तद्नुसार ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्तावित कार्यों के संबंध में निदेशक–अभियांत्रिकी व उपायुक्त मौका निरीक्षण कर औचित्य व आवश्यकता की रिपोर्ट पेश करेंगे।

(5) उक्त विकास कार्यों की संशोधित स्वीकृति हेतु अनुमोदन बाबत –

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व स्वीकृति राशि (लाखों में)	संशोधित स्वीकृति राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	गोशाला मैदान में छात्रावास के द्वितीय तल पर तामीर कार्य (कमरों का निर्माण कार्य)	23.00	26.00	गोशाला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है मौके की स्थिति के अनुसार द्वितीय तल पर एक हॉल जो पूर्व में तखमीने में नहीं लिया गया था वहां आर.सी.सी. छत का कार्य हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
2	सैनगेट चौराहा जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुवे वायुसेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सड़क चौड़ा किये जाने का कार्य।	78.00	102.05	उक्त कार्य पुनः रिस्क एण्ड कॉस्ट पर मैसर्स प्रिया कन्सट्रक्शन द्वारा करवाया जाना है। दर अधिक होने के कारण संशोधित स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
	कुल योग –	101.00	128.05	

उक्त विकास कार्यों की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से क्रम संख्या 1 में अंकित कार्य का प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा क्रम संख्या 2 में अंकित कार्य के संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य संवेदक की रिस्क एण्ड कॉस्ट के अलावा जो अतिरिक्त कार्य लिया गया है, वे कार्य ही स्वीकृत किये जावे। निदेशक–अभियांत्रिकी दोनो कार्यों को पृथक पृथक दर्शाते हुए नक्शा आयुक्त महोदया को प्रस्तुत करे तदनुसार ही संशोधित स्वीकृति आयुक्त महोदया द्वारा स्वीकृत की जावे।

(6) लालसागर अण्डरब्रिज से गोकुल की प्याऊ तक बन रही सड़क पर डिवाईडर का कार्य –

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 11.970 लाख रूपये की जारी की गयी थी। मौके पर डिवाईडर की लम्बाई 900 मीटर बढ़ने के कारण अधिक कार्य स्वीकृत रूपये 13,16,486/– की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 11 मार्च 2011 को जारी की गयी।

अतः अधिक कार्य राशि रूपये 13,16,486/- की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त व्यय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा में ही होगा।

समिति द्वारा वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: काजरी बस स्टैण्ड के संचालन हेतु ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के साथ एम.ओ.यू. व किराये की शर्तों का निर्धारण

काजरी कार्यालय परिसर के पास प्राधिकरण द्वारा बस स्टेण्ड विकसित किया गया है। उक्त बस स्टेण्ड पर 20 केबिन का निर्माण किया गया है तथा उक्त केबिन के लगते हुए ही प्लेटफार्म विकसित किये गये है।

उक्त केबिन व प्लेटफार्म प्राधिकरण द्वारा संबंधित बस ऑपरेटर्स को किराये पर दिये जाने है। जिसकी दर की जानी है। इस संबंध में सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार प्राधिकरण की आरक्षित दर से किराया गणना करने पर 1800/- रुपये प्रति बस मासिक केबिन व प्लेटफार्म होता है।

उक्त केबिन व प्लेटफार्म को किराये पर दिये जाने के संबंध में बस ऑपरेटर्स व प्राधिकरण के संबंध में MoU निष्पादित किया जाना है। इस संबंध में श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम, जोधपुर के समीप बसों के ठहराव हेतु दुकानें मासिक किराये पर दिये जाने हेतु बोली लगायी तत्पश्चात् संबंधित से MoU निष्पादित किया गया है। उसी MoU में वांछित संशोधन कर निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष केबिन व प्लेटफार्म दिये जाने हेतु मासिक किराया तथा निष्पादित किये जाने वाले MoU के संबंध विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: रामराज नगर में डुप्लीकेट फाईल निर्धारण।

नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.2008 को भूखण्ड संख्या 401 दत्तोपन्त ठेगडी नगर योजना का श्री मोहनलाल पुत्र श्री ताराचन्द को आवंटन किया गया था। आवंटन शाखा द्वारा श्री मोहनलाल को आवंटन पत्र क्रमांक यू.आई.टी./एफ46/आवंटन/08/4516 दिनांक 30.08.2008 का उनके गांव का पता श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल ग्राम पोस्ट भोजेरी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर पर भिजवाया गया था। आवंटी का कथन है कि उसे आवंटन पत्र प्राप्त नही हुआ है। आवंटन शाखा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवंटन पत्र पुनः लौटकर भी प्राप्त नही हुआ है। आवंटन शाखा मे भूखण्ड की मूल पत्रावली भी उपलब्ध नही हो पा रही है। कार्यकारी समिति मे डुप्लीकेट पत्रावली बनाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 14.07.2008 को भूखण्ड संख्या 107 सेक्टर 'चार' रामराज नगर योजना में श्री अमरचन्द गहलोत पुत्र श्री सोहनलाल को आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन पत्र दिनांक 22.07.2008 को जारी है एवं

भूखण्ड की बकाया राशि रूपये 30,058/- निर्धारित समयावधि में जमा है। आवंटी ने न्यास में प्रार्थना-पत्र पेश कर लिखा था कि उसके पिता का नाम श्री सोहनलाल के स्थान पर श्री मोहनलाल अंकित हो गया जिसे दुरस्त किया जावे। पत्रावली आवंटन शाखा में नाम संशोधन हेतु प्रक्रिया विचाराधीन थी। परन्तु वर्तमान में भूखण्ड की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कार्यकारी समिति में डुप्लीकेट पत्रावली बनाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि रामराज नगर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवायी जावे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के 3 दिन की समयावधि में भूखण्ड के बारे में एक माह का सार्वजनिक नोटिस दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जावे तथा उसके पश्चात् डुप्लीकेट पत्रावली स्थापित करने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 : आखलिया नियमन प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श।

1- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में स्थित विभिन्न राजस्व ग्रामों जैसे वागा, गैंवा, कैरू, मण्डोर प्रथम व बड़ली आदि में खनन कार्यों के लिए खान विभाग द्वारा 6072 क्वारी लाईसेंस जारी किए हुए हैं। उक्त खानधारकों द्वारा खान से निकाले गये खनिज सेंड स्टोन को रखने, मजदूरों के रहने एवं अन्य सहायक गतिविधियों के लिए खान क्षेत्र से लगती हुई राजकीय भूमि का आखली के रूप में उपयोग में लिया जाता रहा है।

2- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 59 (3) के तहत जिला कलक्टर को उक्त प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन करने का अधिकार दिया गया है। जोधपुर क्षेत्र मे ऐसे खनिज संग्रह स्थल एवं दुकानों को आखली का नाम दिया गया है। जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किये गये है किन्तु तहसीलदार, जोधपुर द्वारा समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को राजकीय भूमि पर स्थापित ऐसी आखली का अनुज्ञा-पत्र निर्धारित वार्षिक किराया/लगान पर दिये गये है। उक्त आखली की भूमि में से अधिकांश भूमि पर पक्का निर्माण किया जा चुका है एवं शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण हटाया जाना भी संभव नहीं है।

3- नगरीय क्षेत्र होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि का नियमन जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ या खनन प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार ऐसी भूमि का आवेदक कब्जेधारियों के पक्ष में वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन किया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में इस संबंध में समुचित प्रावधान है।

4-- उक्त आखली नियमन कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा निम्न अनुसार है:-

1- तहसीलदार, जोधपुर द्वारा वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2000 तक राजकीय भूमि के रूप में अंकित भूमि के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों को आखली के रूप में उपयोग का अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं। उक्त अनुज्ञा पत्र के अनुसार आखली धारकों को प्रति वर्ष 3 से 5 रूपये प्रति हजार वर्ग फीट वार्षिक किराया/लगान के रूप में चुकाये जाने का प्रावधान किया गया था। ऐसे निर्धारित किराये का विवरण तहसीलदार द्वारा संधारित की जाने वाली ढाल बाच में उपलब्ध है। ढाल बाच में अंकित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में नामदार निम्नांकित आखली धारक दर्ज है:-

क्र.स.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	किस्म भूमि	आखली की संख्या जिनकी अनुज्ञा दी गयी है
1	2	3	4	5
1–	बागा	60, 62, 412, 443, 446, 448, 449, 453, 793, 795,	गैर मुमकिन भाकर, खान, तालाब, मार्ग, बावड़ी	333
2–	गेंवा	14 से 67	गैर मुमकिन खान व भाकर	74
3–	केरू	812 से 1256	गैर मुमकिन भाकर	114
4–	मण्डोर–प्रथम	5	गैर मुमकिन भाकर	19
	योग			540

उक्त अनुसार अंकित 540 आखली के अलावा भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर आखली बनायी हुई है जिनकी संख्या का सर्वे करवाया जाना है।

2– अनुज्ञा दी गयी उक्त आखलियों का क्षेत्रफल 1700 वर्ग फीट से लगभग 25000 वर्ग फीट के मध्य है।

3– क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दृष्टि से 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर व 500 वर्ग मीटर के भूखण्ड बनाये जाकर योजना बनायी जानी उचित होगी। उक्त योजना में सड़क, मार्ग, सामुदायिक सुविधा क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जावेगा।

4– प्रत्येक आखलीधारक से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आखली का नियमन क्षेत्र की व्यवसायिक आरक्षित दरों पर किया जाना प्रस्तावित है। आखली का क्षेत्रफल इससे अधिक होने पर नियमन के इच्छुक आखली धारक से 2000 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक दर की डेढ़ गुणा तथा 3000 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक आरक्षित दर की दुगनी दर से नियमन शुल्क वसूल किया जाना प्रस्तावित है। नियमन का अधिकतम क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर होगा।

5– सड़क एवं सुविधा क्षेत्र के रूप में 25 प्रतिशत भूमि को सुविधा क्षेत्र के रूप में रखा जावेगा। इसके लिए सभी आखली धारकों से अनुपातिक रूप से रकबा 25 प्रतिशत कम कर दिया जावेगा।

6– किसी आखलीधारक द्वारा उक्त दरों पर नियमन राशि चुकाये जाने में असमर्थता होने पर ऐसी भूमि प्राधिकरण को समर्पित मानी जावेगी और अतिक्रमण हटाया जाकर ऐसी भूमि को व्यवसायिक/आवासीय प्रयोजन से नीलाम किया जावेगा। यदि आखली धारक आंशिक रूप से या आखली के आंशिक क्षेत्रफल का नियमन चाहता है तो ऐसे नियमन के अतिरिक्त शेष क्षेत्रफल के लिए उक्त अनुसार नीलामी प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

7– उक्त नियमन से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को 500.00 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

8– उक्त आखलियों के क्षेत्र का टोटल स्टेशन सर्वे करने के लिए आदेश दिया गया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी जाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जा सकेगी।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 9 : मीरा संस्थान को भूमि आवंटन प्रकरण।

मीरा संस्थान ग्राम भाण्डु कला में वर्ष 2006 में राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक 2(199) राज/गुप-3/05 दिनांक 28.04.2006 के अनुसार संस्थान को भाण्डु कला गांव में 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्कालीन सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार भूमि की कीमत राशि जमा करवा दी। गांव वालों का विरोध होने पर संस्थान को भूमि प्राप्त नही हुई है तथा अन्य स्थान पर अनुरोध करने पर ग्राम चौखा खसरा नं. 72 में 8.05 बीघा भूमि दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि वर्तमान आरक्षित दर पर संस्थान यदि इच्छुक हो तो आवंटन के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: भूखण्ड संख्या 342 सेक्टर 'बी' राजीव गांधी नगर योजना के क्रम में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 342 सेक्टर 'बी' राजीव गांधी नगर योजना श्री मदनलाल पुत्र श्री माणकलाल सोनी को आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5666 दिनांक 12.04.2010 को जारी हुआ। आवंटी को भूखण्ड का आवंटन पत्र उसका लिखित पता प्लाट नं. 40, सोनी पारा, जैसलमेर पर जारी हुआ। जारी आवंटन पत्र पर आवंटी का नाम श्री मदनलाल के स्थान पर श्री मोहनलाल सोनी अंकित होने से उन्हें जारी आवंटन अदम तामिल प्राप्त हुआ यानि आवंटी को भूखण्ड का आवंटन पत्र प्राप्त नही हुआ। आवंटी ने जरिये इन्टरनेट पर आवंटन की सूचना प्राप्त कर भूखण्ड की बकाया राशि रूपये 4,72,760/-- प्राधिकरण कोष में रसीद संख्या 22513 दिनांक 27.02.2011 को जमा करवादी है। आवंटी को बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज रूपये 58,588/-- व 10 प्रतिशत शास्ती रूपये 47,276/-- कुल रूपये 1,05,864/-- जारी किया। आवंटी श्री मदनलाल सोनी के अधिवक्ता ने विधिक नोटिस देकर भूखण्ड बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ती लेने का कारण चाहा है। जबकि आवंटी को भूखण्ड का आवंटन पत्र भी प्राप्त नही हुआ। कार्यकारी समिति में आवंटी श्री मोहनलाल सोनी से ब्याज एवं शास्ती के रूप में कुल रूपये 1,05,864/-- वसूलने अथवा नही वसूलने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में अंकित ब्याज व शास्ती की राशि वसूल नहीं करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: श्री दिनेश कुमार राकावत पुत्र श्री बंसतदास राकावत वाम्बे योजना आवास गृह संख्या डी -- 185 के संबंध में।

श्री दिनेश कुमार राकावत वाम्बे योजना के लॉटरी द्वारा आवास गृह संख्या डी--185 आवंटन हुआ था। उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 11.02.2009 प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णय के अनुसार गठित कमेटी 1. सचिव, प्राधिकरण-- अध्यक्ष 2.

प्रभारी अधिकारी लीज बस्ती शाखा– सदस्य 3 सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता–सदस्य 4 तहसीलदार, सदस्य 5 प्रभारी अधिकारी आवटन शाखा –सदस्य सचिव, कमेटी द्वारा रोकड पास की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का रिफण्ड कर दिया गया । जिसके आधार पर कमेटी द्वारा श्री दिनेश कुमार का दावा उचित नही होता है । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का चेक कार्यालय में ही पड़ा है । प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति मे विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार आवटन कर दिया जावे लेकिन उपायुक्त–पश्चिम जांच कर आगामी बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि पूर्व में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा गलत रूप से रिफण्ड करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: श्री घेवरचन्द गोस्वामी पुत्र श्री किसन पुरी राजीव गांधी नगर आवासीय योजना भूखण्ड संख्या आई– 761 साईज 6 15 वर्ग मीटर बाबत।

श्री घेवरचन्द गोस्वामी को राजीव गांधी योजना में भूखण्ड संख्या आई– 761 का आवटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी वर्ग में आवेदन किया किन्तु सेवा निवृत राज्य कर्मचारी का कोई आरक्षित वर्ग नहीं है। लॉटरी समिति दिनांक 11.06.2010 को प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर प्रार्थी द्वारा जमा राशि 10,000 रुपये राजीव गांधी बुकलेट की शर्त संख्या 12(3) गलत सूचना के आधार पर राशि जब्त की गई थी । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्राधिकरण द्वारा गलत सूचना के आधार पर मेरी जमा धरोहर राशि जब्त की गई है । जो नियम विरुद्ध है । मेरे द्वारा कोई गलत सूचना नहीं दी गई है । अतः मेरे द्वारा जमा धरोहर राशि लौटाने का अनुरोध किया है । जिसपे पत्रावली के पेरा नं. 51 और 60 के अनुसार आवेदक को पंजीकृत जमा राशि रिफण्ड करने के निर्णय की पालना कर रिफण्ड के आदेश जारी कर दिया जाने हेतु पुष्टि हेतु कार्यकारी समिति में वास्ते अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार रिफण्ड करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री नत्थूसिंह, अतिक्रमण रोक निरीक्षक को सेवा में बहाल करने के संबंध में।

श्री नत्थूसिंह (कनिष्ठ लिपिक), अतिक्रमण रोक निरीक्षण को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.21/स्था./2001/1311–1319 दिनांक 18 जून, 2001 द्वारा निलम्बित किया गया था। श्री नत्थूसिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी प्रकरण दर्ज है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2365 दिनांक 2 जुलाई, 2009 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति जारी की गयी है।

श्री नत्थूसिंह ने प्रार्थना–पत्र में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (157) कार्मिक क–3/97 दिनांक 7 जुलाई, 2010 का हवाला देते हुए पुनः सेवा में बहाल किये जाने का निवेदन किया है। परिपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2010 के क्रम में विधि शाखा ने रिपोर्ट अंकित की है कि जिन कर्मचारियों के निलम्बन को तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उनकी बहाली हेतु पुनर्विचार करने बाबत प्रावधान किया गया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि श्री नरपतसिंह के खिलाफ कितने प्रकरण किस न्यायालय में चल रहे हैं तथा उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है तथा कितने प्रकरणों में चालान/अभियोग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, आदि तथ्यों की संपूर्ण रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री लूणकरण पुरोहित, अधिवक्ता को भुगतान किये जाने के संबंध में।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.जे. (जे.डी.) संख्या 2, जोधपुर में लम्बित वाद संख्या 285/2011 मदन लाल कावरा वेरिटेबल ट्रस्ट बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता श्री लूणकरण पुरोहित को रूपये 51,000/– की भुगतान की जाने वाली राशि का अनुमोदन किया है। इसी प्रकरण के विविध वाद संख्या 285/2011 निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2011 के विरुद्ध अपील कोर्ट में श्री लूणकरण पुरोहित को रूपये 41,000/– की भुगतान की जाने वाली राशि का भी अनुमोदन किया जाना है:–

1–	वाद की फीस	–	51000/–
2–	अपील की फीस	–	41,000/–
	कुल रूपये	–	92,000/–

वर्तमान में उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है व अपील भी लम्बित है इसलिए नियमानुसार वाद की फीस रूपये 51000/– व अपील की फीस के रूपये 41,000/– कुल राशि रूपये 92,000/– के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रश्न उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: पैनल अधिवक्ता/सहायक अधिवक्ता की फीस व मानदेय बढ़ाने के संबंध में एवं सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

बैठक में श्री नन्दलाल शर्मा, मुख्य विधि सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पैनल अधिवक्ता की फीस प्रतिवाद रूपये 2100/– से बढाकर रू. 5,000/– एवं सहायक अधिवक्ता की मानदेय प्रतिमाह रूपये 2000/– से बढाकर रूपये 4500/– किये जाने हेतु प्राप्त हुआ हैं। इसी क्रम में माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर एवं उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता फीस बढाने की मांग कर रहे हैं। उन्हे वर्तमान में प्रतिवाद रूपये 3000/– फीस भुगतान किया जा रहा है जो कम प्रतीत होता हैं। अतः प्रतिवाद रूपये 3,000/– से बढाकर रूपये 10,000/– किया जाना प्रस्तावित हैं।

अपील कोर्ट में सहायक अधिवक्ता नियुक्त नही हैं। अतः श्री जसवाल सिंह राठौड को पैनल अधिवक्ता श्री लूणकरण पुरोहित के सहायक के रूप में नियुक्त किया

जाना प्रस्तावित है। गत कार्यवाही समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 में प्रस्तावित पैनल/सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आने के कारण विचारित किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को विसर्जित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/LC/DCE/S18/III/1496 to 1529 दिनांक 26 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि –

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
17. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

1456-1529 dt 26/8/11

परिशिष्ट-1

दिनांक 18 अगस्त, 2011 को सायं 4.30 बजे श्रीमती [illegible], आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री के.सी. [illegible], अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री बी.पी. [illegible], प्रबन्धक (वित्त), राजस्थान [illegible] लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री [illegible] शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता-नगर वृत्त [illegible], सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री [illegible] प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, जोधपुर
5. श्री के.के. [illegible], [illegible] मैनेजर रीको, जोधपुर
6. श्री ए.पी. [illegible], निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री [illegible] शर्मा, मुख्य विधि परामर्शी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री [illegible], [illegible] नगर नियोजक, जोधपुर
9. श्रीमती [illegible], उपायुक्त-[illegible], जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री नरेन्द्र कुमार [illegible], उपायुक्त-[illegible], जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री [illegible], अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर